हुक्म या कार्यवाही मय इतिविवरण

तारीख हुक्म

22/2016

18/11/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री महावीर गुर्जर उपस्थित है। वकील अप्रार्थी श्री धर्मवीर बामनिया उपस्थित है। प्रार्थीगण स्वयं भी उपस्थित है। पैरोकार सरकार उपस्थित है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का. अधि. बाबत नियत है। उभयपक्षकार द्वारा बहस धारा 212 बाबत ~~[illegible]~~ की निवेदन किया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में लिखित कथनों को दोहराकर प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी वकील की कथनों व दलीलों को नकारते हुये, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात अपनी पुश्तैनी आराजी बताते हुये जवाब प्रार्थना में लिखित कथनों को दोहराकर प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारीज किये जाने का आग्रह किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पत्र के अनुसार कथन दोहराकर राजहित प्रभावित नहीं होने जैसे ही कथन किये। पत्रावली में प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अधि., जवाब प्रार्थना पत्रों पत्रावली में उभय पक्षकारो द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजात के अवलोकन व मनन तथा बहस उभय पक्षकार सुनने के उपरान्त प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का. अधि. अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगणो को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद, वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगणो के हक हिस्से एवं अधिकार की भूमि तकुरंजरन रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगणो को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगणो के हक व अधिकार की हद तक ताफैसला मूलवाद प्रार्थीगणो के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ना डाले और ना ही किसी प्रकार का बेचान/हस्तान्तरण कार्यवाही/बेदखली आदी ना तो करे और ना ही किसी दीगर से करावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

SDO, BHINAI